न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible] -4/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-2-2023	दिनांक 16-2-2022 को इकजाई पेशी दिये जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 की तलबी हेतु आज ही सम्मन तलबाना पेश करें। सम्मन तलबाना पेश होने पर तामील जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 08-03-23 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
04.04.2023	वकील वादी के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का दिनांक 27.03.2023 को पेश कर पक्षकारान् के एक ही परिवार के सदस्य होकर पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने बाबत निवेदन किये जाने पर पत्रावली दिनांक 08.03.2023 से दी गई इकजाई तारीख पेशी 12.04.2023 से पूर्व तलब की जाकर आज पेश हुई। वकील वादी मय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण संख्या 11 से प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा लिए गए बैंक ऋण का नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जाने से बैंक की तामील की आवश्यकता नहीं होने से बैंक के विरूद्ध दावा विड्रा किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या [illegible] कार्यवाही विड्रा किये जाने की स्वीकृति [illegible] 10 की तामील असालतन होकर [illegible] अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 10 के विरूद्ध ए[illegible]ीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से वादपत्र में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने बाबत लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर आज	

-लगातार-

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:43 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीक

.... श्रीमती .... बनाम .... राजेन्द्र वर्मा ....

किस्म मुकदमा .... दीवानी .... नं. 4/2023 ...... सन् ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। हमने वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी की एक पक्षीय बहस उपरान्त वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Rathore 04/04/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.04.06 10:20:43 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
04 / 2023	2023 / 005	17.09.2021	04.04.2023

उनवान प्रकरण

श्रवण पुत्र झूंथा जाति धानका उम्र 72 साल निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— वादी——

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गणपत जाति धानका उम्र 60 साल निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. बाबूलाल उम्र 65 साल
3. किशोर उम्र 60 साल
4. रमेशचन्द उम्र 42 साल
5. कैलाशचन्द उम्र 25 साल

   पुत्रगण स्व0 चौथू
6. पूजा देवी पत्नी स्व0 उम्मेद उम्र 45 साल
7. शालू देवी पुत्री स्व0 उम्मेद उम्र 18 साल
8. उदयसिंह उम्र 11 साल
9. गणेशराम उम्र 7 साल

   पुत्रगण स्व0 उम्मेद नाबालिग जरिये संरक्षिका माता पूजा देवी।

   जाति धानका निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
10. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
11. मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:43 IST
Reason: SelfAttested

——प्रतिवादीगण——

04/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (राज.)

उपस्थित :–
श्री भँवर सिंह चौधरी, एड0 वादी अभिभाषक।
श्री अनिल यादव, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से।

दावा बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि तन् ग्राम जसवंतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 215 रकबा 1.1700 है0 खातेदारी प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 0.9000 है0 एवं खसरा नम्बर 217 रकबा 0.9500 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 1.8500 हे0 में 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम एवं 1/2 हिस्सा की खातेदारी मृतक चौथमल पुत्र झूंथा के नाम दर्ज है। मृतक चौथमल पुत्र झूंथा के वारिसान प्रतिवादी संख्या–2 ता 9 है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 आपस में एक ही परिवार खानदान से है। सजरा खानदान के अनुसार पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 आपस मे एक ही परिवार से है एवं उक्त वर्णित भूमियों का पक्षकारान ने आपस में पारिवारिक सैटिलमेंट बाहमी बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार कृषि खसरा नम्बर 215 रकबा 1.1700 है0 संपूर्ण पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है एवं ख0न0 216 रकबा 0.9000 है0 संपूर्ण पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त चला आ रहा है एवं खसरा नम्बर 217 रकबा 0.9500 है0 पर प्रतिवादी संख्या –2 ता 9 काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को वादी की भूमि के कब्जा काश्त में मजाहमत करने को कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। ... वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 05.09.2021 को इन्कार हो गये एवं वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:43 IST
Reason: SelfAttested

04/04/23

दिलीप ...
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

धमकी दी है। इसलिए माननीय अदालत मे बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जसवंतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि ख0न0 215 रकबा 1.1700 है0 संपूर्ण की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर इसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने एवं कृषि भूमि ख0न0 700/216 रकबा 0.4500 है0 में प्रतिवादी संख्या–2 ता 5 को हिस्सा 4/5 का बहिस्सा बराबर–बराबर एवं प्रतिवादी संख्या–6 ता 9 को हिस्सा 1/5 का बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने एवं ख0न0 217 रकबा 0.9500 है0 संपूर्ण का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से वादी व मृतक चौथमल पुत्र झूंथा का नाम हजफ किये जाने एवं उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर उक्तानुसार बैंक का रहन दुरूस्त किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन वादी द्वारा अपने वादपत्र में किया है। वाद वास्ते घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर पक्षकारान् ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री भंवर सिंह एड0 ने की एवं उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 से 5 की पहचान एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 6 से 9 की ओर श्री अनिल यादव एड0 ने राजीनामा स्वीकार किया। प्रतिवादी संख्या 10 की असालतन तामील हो जाने के उपरान्त हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 11 से प्राप्त बैंक से कोई बकाया नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 11 के विरूद्ध कार्यवाही विड्रा किये जाने का निवेदन किया। [illegible] वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] कार्यवाही विड्रा की गई। प्रकरण विड्रा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी [illegible] पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के द्वारा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:43 IST
Reason: SelfAttested

04/04/23

दिलीप सिंह
[illegible] अधिकारी, श्रीमाधोपुर

करवा लिये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रतिवादी संख्या 11 के विरूद्ध वादपत्र विड्रा कर लिये जाने से वकील वादी ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम जसवंतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि ख0न0 215 रकबा 1.1700 है0 संपूर्ण की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एंव खसरा नम्बर 216, 217 कुल किता 2 कुल रकबा 1.8500 हैक्टर के 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी एंव 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 के मृत्तक पिता चौथमल पुत्र झूंथा के नाम वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 का प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार एक ही परिवार खानदान से होकर खुमाना के वारिसान् होना प्रकट होता है। जिससे वादग्रस्त भूमियॉं पक्षकारान् वादी एंव प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 की पैत्रक भूमियॉं होना सिद्ध होता है। जिसका पक्षकारान् वादी एंव प्रतिवादीगण के द्वारा पारिवारिक सैटलमेंट से बाहमी बंटवारा किया जाना प्रकट होता है। उक्त बाहमी बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने नाम खातेदारी भूमियों की उद्घोषणा करवाना चाहते है। जिसके लिए प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा भी न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों से प्रतिवादीगण सहमत है तथा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार खातेदारी अपने–अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। वादपत्र में अंकित भूमियॉं पक्षकारान् की पैतृक भूमियॉं होना सिद्ध होता है। जिसके आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार[illegible]या [illegible] वादपत्र को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

04/04/23

दिलीप सिं[illegible]
उपखण्ड अधिकारी [illegible]माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:43 IST
Reason: SelfAttested

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम जसवंतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 215 रकबा 1.1700 है0 संपूर्ण की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाता है तथा इसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं कृषि भूमि ख0न0 700/216 रकबा 0.4500 है0 में प्रतिवादी संख्या–2 ता 5 को हिस्सा 4/5 का बहिस्सा बराबर–बराबर एवं प्रतिवादी संख्या –6 ता 9 को हिस्सा 1/5 का बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ख0 न0 217 रकबा 0.9500 है0 संपूर्ण का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से वादी व मृतक चौथमल पुत्र झूंथा का नाम हजफ किया जाकर बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जानें की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

04/04/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:20:43 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/04/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)